

प्रेषक,

मी शाम सन्दर अग्रिमोत्ती,
तंत्रा तंत्रा तंत्रा
उत्तर पूर्व भारत।

लेखा मे,

तंत्रा
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सामाजिक केन्द्र
प्रतित विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

तारिख: दिनांक: 12 जुलाई, 2000


विषय- देवराटन पदिकल स्कूल बानकठ रोड, मुजफ्फरनगर जो सी0बी0स्ट0इ0 नई दिल्ली में
तंत्रात्मा हेतु उनापति प्रमाण पत्र भेजे प्राप्त होने के लिए।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निष्ठा हूँ कि देवराटन पदिकल स्कूल, बानकठ रोड, मुजफ्फरनगर जो सी0बी0स्ट0इ0 नई दिल्ली में तंत्रात्मा हेतु उनापति प्रमाण पत्र दिये जाने में इत राज्य तरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अधीन आपति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का सम्बन्ध-सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबंध तमिति में शिक्षा निषेक द्वारा नामित एवं तदत्पर होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुच्छित जाति/अनुच्छित जनजाति के बच्चों के लिये तुरंदित रहेंगे और उनसे उ0प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तंत्रा का विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क ते अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 तंत्रा द्वारा राज्य तरकार ते किसी अनुदान की गाँग नहीं की जायेगी और पदिकल पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अपा वेतिक शिक्षा परिषद ते मानवता प्राप्त है तथा विद्यालय की तम्बद्दता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली ते प्राप्त होती है तो उस परीक्षा बर्ब से उकत केन्द्रीय परिषदों की तम्बद्दता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र०, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मानवता तथा राज्य पर तरकार ते प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 151 तंत्रा शैक्षिक एवं शिखणतार कर्म्मात्मियों को राजकीय साधारणा प्राप्त शिखण तंत्राओं के कर्म्मात्मियों को अनुभव्य वेतनगानों तथा अन्य भत्तों ते कम वेतनगान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कर्म्मात्मियों की तेवा शते बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अवातारीय उ0प्र० विद्यालयों के कर्म्मात्मियों के अनुभव्य तेवान्विति का लाभ उपलब्ध होता जायेगा।
- 171 राज्य तरकार द्वारा सम्बन्ध तम्बन पर जो भी ओदेश निर्गत किये जायेंगे तंत्रा उनका पालन करेगी।

..... 2/



- 183 विद्यालय का रिकाई किया रित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शतों में राज्य तरकार के पूर्वानुग्रहन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन पा पारवद्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना तंथा के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी तम्य यह पापा जाता है कि तंथा क्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा पालन करने में किती भी पृकार की घूँफ पा शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य तरकार क्वारा प्रदत्त अनापोत्त प्राप्ति पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भद्रीय,

E —

। श्याम तन्दर अग्नहौत्री ।
संयुक्त सचिव।

पृष्ठ ०- 111/15-7-2000, तद दिनांक

प्रतितिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
२. मण्डलीय तंत्रज्ञ शिक्षा निदेशक, काशीरनुरा।
३. जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर।
४. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उण्ठो, लखनऊ।
५. प्रबंधक, देवराट्टन प्रबंधक स्कूल, जान्सठ रोड, मुजफ्फरनगर।

आज्ञा से,

E —

। श्याम तन्दर अग्नहौत्री ।
संयुक्त सचिव।